

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
आदेश

संख्या— वि०प्रा० (III) विविध—05/2024/

/पटना, दिनांक :-

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-32/2017 के आलोक में आयोग के पत्रांक-359 दिनांक-26.02.2019 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-879 दिनांक-08.03.2019 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में वेतनमान पीबी-4 (37400-67000, एजीपी-10000)+ विशेष भत्ता 2000/- (अपुनरीक्षित) एवं समय-समय पर अनुमान्य भत्ता के अधीन प्राचार्य पद पर नियुक्ति की गई है। तदुपरान्त विभागीय आदेश-2247 दिनांक-10.06.2024 द्वारा उक्त वेतनमान को पुनरीक्षित करते हुए वेतन स्तर-14 अनुमान्य की गई है।

उक्त अधिसूचना से नियुक्त नियमित प्राचार्य द्वारा नियुक्ति तिथि से विशेष भत्ता 4500/- अनुमान्य करते हुए वेतन पुर्जा निर्गत किये जाने हेतु वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग से अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग द्वारा निर्गत वेतन पुर्जा में अंकित अभ्युक्ति के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या-879 दिनांक-08.03.2019 से नियुक्त प्राचार्यों को सातवें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में विशेष भत्ता 4500/- अनुमान्य किये जाने के बिन्दु पर विभागीय निर्णय लिये जाने का मामला विचाराधीन था।

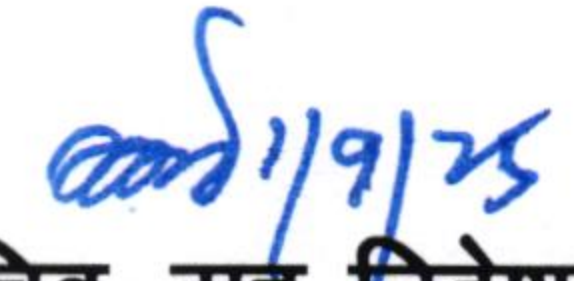
तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-879 दिनांक-08.03.2019 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में नियुक्त नियमित प्राचार्य को नियुक्ति की तिथि से सातवें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार देय विशेष भत्ता 4500/- अनुमान्य की जाती है।

ii. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/
(अहमद महमुद)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक - वि०प्रा० (III) विविध—05/2024/ 4785 /पटना, दिनांक :- 01.09.25

प्रतिलिपि— प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव-सह निदेशक।